<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी	-	आशीष मीना, आर.जे.एस.
नि.फौ.प्रकरण संख्या	-	237/2016
सी.आई.एस. संख्या	-	1011/2016

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

01- बद्रीलाल पुत्र पन्नालाल, निवासी पिपल्या नग्गा, पुलिस थाना रटलाई, (मृत्यु दिनांक 22.02.2021)

02- मांगीलाल पुत्र कन्हीराम, निवासी श्योपुर खेड़ली, पुलिस थाना रटलाई,

03- लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूलाल, निवासी श्योपुर खेड़ली, पुलिस थाना रटलाई,

04- रामनारायण पुत्र मोतीलाल, निवासी मोतीपुरा, पुलिस थाना रटलाई,

05- हेमराज पुत्र गंगाराम, निवासी दादिया, पुलिस थाना सारोला,

06- रामबाबू पुत्र राधाकिशन, निवासी पिपल्या नग्गा, पुलिस थाना रटलाई, (मफरूर दिनांक 10.03.2026)

07- बनेसिंह पुत्र भंवरलाल, निवासी केलखोयरा, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ (मफरूर दिनांक 13.03.2026)

अभियुक्तगण...

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 182, 193 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री भोजराज पारेता, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 18-03-2026

01- उक्त प्रकरण में अभियुक्त बद्रीलाल की मृत्यु दिनांक 22.02.2021 को हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा दिनांक 10.03.2026 को अभियुक्त रामबाबू व दिनांक 13.03.2026 को अभियुक्त बनेसिंह को मफरूर घोषित किया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण का निर्णय केवल अभियुक्तगण मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण, रामनारायण व हेमराज के संबंध में पारित किया जा रहा है।

02- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 182, 193 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-05-2016 को पेश किया गया।

03- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05-11-2015 को फरियादी बद्रीलाल ने पुलिस थाना अकलेरा में उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की

पेश की कि रात करीब 11 बजे की बात है कि वह उसका ट्रेक्टर स्वराज कम्पनी का हंकाई के लिए केलखोयरा थाना घाटोली में हंकाई के लिए बनेसिंह पुत्र कंवरलाल के यहां खेत पर हंकाई कर रहा था। ट्रेक्टर को खेत की मेड़ पर खड़ा कर पास ही टापरी में खड़ा कर ड्राईवर रामबाबू पुत्र राधाकिान, निवासी पिपल्या नग्गा जो ड्राईवरी कर रहा जो, टापरी में जाकर सो गया। जब सह सुबह 4 बजे उठा तो ट्रेक्टर को चुराकर ले गए जिसका नं. आर.जे 17 आर.बी 2817 को चुराकर ले गए।, इत्यादि।

04- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 279/2015, अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 182, 193 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

05. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्तगण को धारा 420 सपठित धारा 120बी, 467 सपठित धारा 120बी, 468 सपठित धारा 120बी, 471 सपठित धारा 120बी, 182, 193 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

06- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 नितिन शर्मा, पी.डब्ल्यू. 02 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 03 अनार सिंह, पी.डब्ल्यू. 04 रामप्रसाद, पी.डब्ल्यू. 05 अमरलाल, पी.डब्ल्यू. 06 प्रेमबाई, पी.डब्ल्यू. 07 सुजानसिंह, पी.डब्ल्यू. 08 तोलाराम, पी.डब्ल्यू. 09 रामेश्वर, पी.डब्ल्यू. 10 मोहम्मद सईद, पी.डब्ल्यू. 11 हंसराज, पी.डब्ल्यू. 12 बंधीधर जोशी, पी.डब्ल्यू. 13 परमानंद, पी.डब्ल्यू. 14 लक्ष्मण सिंह को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत पी. 42 तक दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

07- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

08- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

09- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है एवं सभी गवाहान हितबद्ध गवाहान है। प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान

पक्षद्रोही घोषित हुये हैं। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 05.11.2015 को रात्रि करीब 11.00 बजे मौजा ग्राम केलखोयरा थाना घाटोली में आपराधक षडयंत्र रचते हुए ट्रेक्टर स्वराज कम्पनी नं. आर.जे 17 आर.बी 2817 के चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस थाना घाटोली पर दर्ज नहीं कराई जबकि यह जानते हुए कि उक्त ट्रेक्टर को धोखाधड़ी कर इकरारनामा व अधिकार पत्र, अन्य कागज तैयार करवाकर बीमा कम्पनी से क्लेम लेने के लिए बीमा कम्पनी को हानि पहुंचाने की नियत से तथा उक्त ट्रेकटर से प्राप्त राशि को परिदत्त करने के आशय से उसे परसराम पण्डित को बेचान कर छल का अपराध कारित कर उक्त ट्रेक्टर से प्राप्त राशि को परिदत्त करने के लिए आशय से इकरारनामा व अधिकार पत्र, अन्य कागजात की कूटरचना छल के प्रयोजन से की तथा उक्त कूटरचा छल के प्रयोजन से कर उसे असली के रूप में उपयोग में लिया तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त ट्रेक्टर परसराम पण्डित को बेचान कर उसके चोरी होने की मिथ्या रिपोर्ट पुलिस थाना घाटोली पर दर्ज करवाई जिससे थाना के अधिकारी व कर्मचारी अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए कर सके तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त ट्रेक्टर परसराम पण्डित को बेचान कर चोरी होने की मिथ्या साक्ष्य तैयार कर रिपोर्ट पुलिस थाना घाटोली पर दर्ज करवाई ताकि न्यायिक कार्यवाही होने पर उसे ट्रेक्टर के क्लेम की राशि प्राप्त हो जाए। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 420 सपठित धारा 120बी, 467 सपठित धारा 120बी, 468 सपठित धारा 120बी, 471 सपठित धारा 120बी, 182, 193 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी बद्रीलाल द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि रात करीब 11 बजे की बात है कि वह उसका ट्रेक्टर स्वराज कम्पनी का हंकाई के लिए केलखोयरा थाना घाटोली में हंकाई के लिए बनेसिंह पुत्र कंवरलाल के यहां खेत पर हंकाई कर रहा था। ट्रेक्टर को खेत की मेड़ पर खड़ा कर पास ही टापरी में खड़ा कर ड्राईवर रामबाबू पुत्र राधाकिान, निवासी पिपल्या नग्गा जो ड्राईवरी कर रहा जो, टापरी में जाकर सो गया। जब सह सुबह 4 बजे उठा तो ट्रेक्टर को चुराकर ले गए जिसका नं. आर.जे 17 आर.बी 2817 को चुराकर ले गए।, इत्यादि।

13- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाह परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें से सर्वप्रथम गवाह पी.ड. 01 नितिन शर्मा है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 01 का

गवाह है। जिरह में गवाह ने अभिकथित किया है कि जहां का नक्शा मौका बनाया, वह आम रास्ता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 ओमप्रकाश है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बद्रीलाल ने रिपोर्ट की थी। जिस प्रकरण में मुल्जिम फरियादी है उसमें मुल्जिम अज्ञात व्यक्ति है। गांव में जाकर उसने पूछताछ की थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 अनारसिंह व पी.डब्ल्यू. 04 रामप्रसाद है। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि वे हाजिर अदालत मुल्जिम बद्रीलाल को जानते हैं। ट्रेक्टर लिया था उसके सभी डॉक्यूमेंट सही थे।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 05 अमरलाल पी.डब्ल्यू. 06 प्रेमबाई व पी.डब्ल्यू. 07 सुजानसिंह हैं। उक्त गवाहान को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिन्होंने घटना से संबंधित कुछ भी पता होने से साफ तौर पर इंकार किया है एवं अभिकथित किया है कि ट्रेक्टर किसकी जगह से चोरी हुआ उन्हें ध्यान नहीं है। वे मांगीलाल व हेमराज को नहीं जानते और उन्होंने उनको कभी नहीं देखा। गवाह पी.डब्ल्यू. 08 तोलाराम है जो कि मुल्जिम रामबाबू की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 11 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि पुलिस ने उसके प्रदर्श पी. 11 पर थाने पर खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। गवाह पी.डब्ल्यू. 09 रामेश्वर है जो कि फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी. 12 का गवाह है। गवाह पी.डब्ल्यू. 10 मोहम्मद सईद है जो कि एलएनटी फाईनेंस कंपनी कोटा में एरिया मैनेजर कलेक्शनर के रूप में कार्य करता था जिसने कथन किया है कि बद्रीलाल को वर्ष 2015 में ट्रेक्टर खरीदने के लिए लोन दिया था।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 11 हंसराज है जो कि फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी. 12 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जहां का मौका देखा वह आम रास्ता है वहां से ट्रेफिक वगैरह निकलते रहते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 बंशीधर है जो कि झालावाड़ में सन 2008 से सेंट्रल नोटेरी का कार्य कर रहा है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसके पास नोटेरी कराने बद्रीलाल ही आया था। किसी पहचानकर्ता के नोटेरी कराते वक्त साईन नहीं करवाए थे। सिर्फ फोटो के आधार पर ही नोटेरी की थी। वह बद्रीलाल को पहले से नहीं जानता था। उसने फोटो के आधार पर ही नोटेरी की थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 परमानंद है जो कि फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी. 11 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जहां का नक्शा मौका देखा वहां पर आम रोड़ है।

16- गवाह पी.डब्ल्यू. 14 लक्ष्मण सिंह है जिसके द्वारा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि बद्रीलाल ने चोरी की रिपोर्ट में 29.11.2015 को ट्रेक्टर चोरी होना बताया था जिसकी रिपोर्ट 30.11.2015 को लिखी हुई है। उन्होंने मोबाईल की लोकेशन नहीं निकलवाई थी। मुल्जिम हेमराज को उसने गिरफ्तार नहीं किया। वह ट्रेक्टर के शोरूम पर गया था। शोरूम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो तो उसे पता नहीं है। ट्रेक्टर से संबंधित कागजात जप्त करने बाबत कोई फर्द उसने नहीं बनाई। अनुसंधान के दौरान ट्रेक्टर बरामद नहीं हुआ।

17- इस प्रकार सभी गवाहान के साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में अभिकथित किया है कि तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बद्रीलाल ने रिपोर्ट की थी। जिस प्रकरण में मुल्जिम फरियादी है उसमें मुल्जिम अज्ञात व्यक्ति है। गांव में जाकर उसने पूछताछ की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण व स्वतंत्र गवाहान भी पक्षद्रोही घोषित हुये है, जिन्होंने एक स्वर में प्रकरण के संबंध में जानकारी होने से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिमान द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

18- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 05.11.2015 को रात्रि करीब 11.00 बजे मौजा ग्राम केलखोयरा थाना घाटोली में आपराधक षडयंत्र रचते हुए ट्रेक्टर स्वराज कम्पनी नं. आर.जे 17 आर.बी 2817 के चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस थाना घाटोली पर दर्ज नहीं कराई जबकि यह जानते हुए कि उक्त ट्रेक्टर को धोखाधड़ी कर इकरारनामा व अधिकार पत्र, अन्य कागज तैयार करवाकर बीमा कम्पनी से क्लेम लेने के लिए बीमा कम्पनी को हानि पहुंचाने की नियत से तथा उक्त ट्रेकटर से प्राप्त राशि को परिदत्त करने के आशय से उसे परसराम पण्डित को बेचान कर छल का अपराध कारित कर उक्त ट्रेक्टर से प्राप्त राशि को परिदत्त करने के लिए आशय से इकरारनामा व अधिकार पत्र, अन्य कागजात की कूटरचना छल के प्रयोजन से की तथा उक्त कूटरचा छल के प्रयोजन से कर उसे असली के रूप में उपयोग में लिया तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त ट्रेक्टर परसराम पण्डित को बेचान कर उसके चोरी होने की मिथ्या रिपोर्ट पुलिस थाना घाटोली पर दर्ज करवाई जिससे थाना के अधिकारी व कर्मचारी अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए कर सके तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त ट्रेक्टर परसराम पण्डित को बेचान कर चोरी होने की मिथ्या साक्ष्य तैयार कर रिपोर्ट पुलिस थाना घाटोली पर दर्ज करवाई ताकि न्यायिक कार्यवाही होने पर उसे ट्रेक्टर के क्लेम की राशि प्राप्त हो जाए। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 420 सपठित धारा 120बी, 406 सपठित धारा 120बी, 467 सपठित धारा 120बी, 468 सपठित धारा 120बी, 471 सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

19- अतः अभियुक्तगण 01- मांगीलाल पुत्र कन्हीराम, निवासी श्योपुर खेड़ली, पुलिस थाना रटलाई, 02- लक्ष्मीनारायण पुत्र कालूलाल, निवासी श्योपुर खेड़ली, पुलिस थाना रटलाई, 03- रामनारायण पुत्र मोतीलाल, निवासी मोतीपुरा, पुलिस थाना रटलाई, 04- हेमराज पुत्र गंगाराम, निवासी दादिया, पुलिस थाना सारोला जिला झालावाड़ को धारा 420 सपठित धारा 120बी, 467 सपठित धारा 120बी, 468 सपठित धारा 120बी, 471 सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत

पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण रामबाबू व बनेसिंह मफरूर हैं। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित जाए कि पत्रावली का कोई नष्ट नहीं किया जावे।

20- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

21- निर्णय आज दिनांक 18-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजाराम मीना)

स्टेनो ग्रेड ।।।

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।